भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2286
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेघालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

2286. डॉ. रिकी ए. जे. सिंगकोणः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मेघालय में परिचालनरत जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का जिला-वार ब्यौरा क्या है:
(ख) क्या सरकार ने इन पर्वतीय क्षेत्रों में नई चिकित्सा सुविधाओं, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों या दूरस्थ चिकित्सा सेवाओं हेतु धनराशि स्वीकृत या संवितरित की है; और
(ग) देश के सुदूर ग्रामों में डॉक्टरों, नर्सों एवं आवश्यक औषधियों की कमी की समस्या का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, मेघालय की राज्य सरकार के पास 11 जिला अस्पताल, 122 ग्रामीण और 25 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) तथा 28 ग्रामीण और 1 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हैं। जिलावार जिला अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है:
https://www.mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

(ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार, मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है। वर्ष 2024-25 के लिए योजना के अनुसार, मेघालय राज्य के लिए कुल 407.71 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में नए चिकित्सा सुविधा-केन्द्रों, चल स्वास्थ्य इकाइयों या टेलीमेडिसिन सेवाओं के विकास सहित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 393.01 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। साथ ही, एनएचएम के तहत वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के लिए 430.33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(ग): मेघालय की राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सामान्य और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए मेघालय चिकित्सा सेवा भर्ती बोर्ड (एमएमएसआरबी) का गठन किया गया है। नर्सों और संबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती भी एमएमएसआरबी के माध्यम से ही की जाती है। इसके अलावा, मेघालय के डॉक्टरों को व्यापक आपातकालीन मातृत्व प्रसूति परिचर्या (सीईएमओसी), जीवन रक्षक एनेस्थेटिक कौशल (एलएसएएस) और अल्ट्रासोनोग्राफी में छह महीने का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। राज्य ने मेघालयन मेडिकल ड्रग्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (एमएमडीएसएल) की शुरुआत की है, जो स्वास्थ्य सुविधा-केन्द्रों के लिए औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए एक उत्तरदायी एजेंसी है। इसका उद्देश्य दवाओं/औषधियों की मांग, आपूर्ति, रखरखाव और निपटान की प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, औषधि खरीद और आपूर्ति के प्रबंधन में सुधार करना, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और राज्य भर में, दूरदराज के गांवों सहित, सभी आवश्यक औषधियों, दवाओं और चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा संबंधी मदों की समय पर प्रदायगी सुनिश्चित करना है।

*****